Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

जयपुर, दिनांक 09.01.2026 शुक्रवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी भरतपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए **अभिषेक कनिष्ठ अभियंता व मोहित कटियार सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल उच्चौन जिला भरतपुर** को परिवादी से **50,000/- रूपये** रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक, श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी द्वारा पीएम सूर्यघर योजना में रूफटॉप सौलर योजना में परिवादी की फर्म द्वारा किये गये सौलर प्लांट इंस्टॉलेशन के मीटर जारी करने व सब्सिडी एप्रूव करने की एवज में अभिषेक कनिष्ठ अभियंता व मोहित कटियार सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल उच्चौन जिला भरतपुर द्वारा मिलकर परिवादी से 90,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में **श्री अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक** एसीबी भरतपुर द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी कनिष्ठ अभियंता व मोहित कटियार सहायक अभियंता कार्यालय अधिशाषी अभियंता जेवीवीएनएल उच्चौन जिला भरतपुर को आरोपी अभिषेक कनिष्ठ अभियंता के घर के बाहर रोड पर परिवादी से प्रथम किश्त के रूप में 50,000/- रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडा गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** एवं महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।